

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


क्रमांक: एफ/प्रशा/स्था/2023/7777
// कार्यालयीन आदेश //

दिनांक 27/7/2023

प्रायः यह देखने में आया है, कि विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी विश्वविद्यालय की किसी भी व्यवस्था से संतुष्ट न होने पर सी0एम0 हेल्पलाईन/सूचना का अधिकार एवं न्याय प्रणाली के अंतर्गत अपील/सूचना या फिर याचिका का प्रयोग करते हैं चूंकि यह उनका संवैधानिक अधिकार है लेकिन विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने हेतु उनसे अपेक्षा की जाती है कि प्रथमतः वह अपनी समस्या के निदान हेतु प्रशासनिक तंत्र से सम्पर्क करें तत्पश्चात् समस्या का निदान न होने की स्थिति में उक्त विकल्पों का उपयोग करें।


उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, अध्ययनशालाएं, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. समस्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. श्री संजय बरतरिया, आई0टी0 सेल प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवश्यक रूप से अपलोड करें।


सहा0/उप-कुलसचिव (प्रशा0)